भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 635
उत्तर देने की तारीख 24.07.2023

लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

635. श्रीमती हेमामालिनी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या उक्त संदर्भ में देश में कई क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(ग) क्या स्थापित किए गए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थानीय लोक कला और संस्कृति की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण प्रदान करने में प्रभावी रूप से सफल रहे हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क): जी, हां। संस्कृति मंत्रालय देश में लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमें संचालित करता है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): जी, हां। देश भर में लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को संरक्षित, संवर्धित और परिरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये जेडसीसी पूरे वर्ष नियमित आधार पर अपने सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसके लिए इन्हें वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। ये जेडसीसी विभिन्न स्कीमें भी संचालित करते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पूरे देश में कला, संस्कृति और शिल्प कला के परिरक्षण और विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय इन जेडसीसी के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) भी आयोजित करता है जहां पूरे भारत से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 के बाद से, देश में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 25 स्थानों पर चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। ये जेडसीसी अपने कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 42 क्षेत्रीय महोत्सव भी आयोजित करते हैं। भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान कोष के समुचित रखरखाव के लिए, लुप्तप्राय कला रूपों सहित अनेक कला रूपों को इन जेडसीसी द्वारा प्रलेखित किया जा रहा है।

स्थानीय लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को संवर्धित, संरक्षित और प्रसारित करने के उद्देश्य से, ये जेडसीसी नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रम/कार्यकलाप आयोजित करते हैं/इनमें सहभागिता करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों/कार्यकलापों की सूची **अनुलग्नक-III** पर दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

'लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना' के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. **गुरू-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत और नृत्य क्षेत्र में 01 गुरू और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता की राशि- गुरु के लिए 15000/- रु. प्रतिमाह, शिष्य के लिए 2000-10000/- रुपए प्रतिमाह (कलाकारों की आयु पर निर्भर)

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य देश में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करते हुए कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करने वाले राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों ('गैर-लाभ-अर्जक' संगठन, एनजीओ, सोसाइटियां, न्यास, विश्वविद्यालय आदि) को वित्तीय सहयता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के

अंतर्गत 5 लाख रुपए (विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपए) का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

V. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi. संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में पर्यटक/आगंतुक नियमित रूप से आते हैं और प्रमुख आयोजनों/महोत्सवों के दौरान आगंतुकों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड

एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपए।

vii. स्थानीय महोत्सव और मेले

इस योजना का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के लिए सहायता प्रदान करना है।

3. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में 03 घटक हैं। स्कीम घटकों के नाम और विवरण नीचे दिए गए हैं :

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु (वरिष्ठ) के उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती है। अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में मान्यताप्राप्त अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और सशक्त बनाना है ताकि विद्वानों/शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करते हुए इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर स्वयं को संबद्ध किया जा सके। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 तक अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 तक छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति 04 बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

4. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत) के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों / निकायों, नगर निगमों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाओं, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों आदि) के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस स्कीम के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है।

5. वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयोवृद्ध कलाकारों, जिनकी वार्षिक आय 48000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो, को प्रति माह 6000/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कला, साहित्य आदि के अपने विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन अब अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं।

6. सेवा भोज योजना

'सेवा भोज योजना' की स्कीम के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को जनता को मुफ्त भोजन वितरित किए जाने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और केन्द्र सरकार के एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है। सेवा भोज योजना स्कीम के अंतर्गत गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक आश्रम, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, मठ, बौद्ध मठ आदि जैसे धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए जाने वाले मुफ्त 'प्रसाद' या मुफ्त भोजन या मुफ्त 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-II

'लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना' के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें

i. **युवा प्रतिभावान कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करना :** ''युवा प्रतिभावान कलाकार'' नामक इस स्कीम को दुर्लभ कला रूपों के क्षेत्र में, विशेषकर युवा प्रतिभावान कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है। इसमें 18-30 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभावान युवा कलाकारों का चयन किया जाता है और उन्हें 10,000/- रुपए का एकबारगी नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ii. **गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम:** इस स्कीम में हमारी मूल्यवान परंपराओं को भावी पीढ़ियों को सिखाने का प्रावधान किया गया है। शिष्यों को दुर्लभ और विलुप्त हो रहे कला रूपों में अनुभवी गुरुओं के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। क्षेत्र के दुर्लभ और विलुप्त प्राय कला रूपों की पहचान की जाती है और 'गुरूकुल' परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादकों का चयन किया जाता है। एक स्कीम के लिए छह माह से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक गुरू को 7,500/- रुपये, संगतकार को 3,750/- रुपए और शिष्य को 1,500/- रुपए का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। राज्य सांस्कृतिक कार्य विभागों द्वारा गुरुओं के नामों की अनुशंसा की जाती है।

iii. **रंगमंच नवीनीकरण :** मंच प्रस्तुतियों और निर्माण अभिमुखी कार्यशालाओं आदि सहित रंगमंच कार्यकलापों को संवर्धित करने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता को छोड़कर प्रति शो 30,000/- रु. तक मानदेय प्रदान किया जाता है। इन समूहों को इनके दस्तावेजों के साथ-साथ इनके द्वारा प्रस्तुत परियोजना के गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

iv. **अनुसंधान एवं प्रलेखन :** संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, ललितकला आदि के क्षेत्र में लोक, जनजातीय एवं शास्त्रीय कला रूपों सहित विलुप्त हो रहे दृश्य एवं मंच कला रूपों को प्रिंट/श्रव्य–दृश्य मीडिया में परिरक्षित, संवर्धित और प्रसारित करना। राज्य सांस्कृतिक विभाग के परामर्श से कला रूप को अंतिम रूप दिया जाता है।

v. **शिल्पग्राम :** संगोष्ठी, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, शिल्पकला मेलों के आयोजन द्वारा क्षेत्रीय लोक एवं जनजातीय कला तथा शिल्प कला का संवर्धन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कारीगरों को अभिकल्प विकास और विपणन सहायता प्रदान करना।

vi. **ऑक्टेव :** अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा नामक आठ राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शेष भारत में संवर्धन और प्रसार करना।

vii. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (एनसीईपी) :** इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत, सदस्य राज्यों में मंचकलाओं, प्रदर्शनियों, यात्राओं आदि से संबंधित विभिन्न महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों/राज्यों से कलाकारों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देश के अन्य भागों में आयोजित होने वाले महोत्सवों में इस क्षेत्र के कलाकारों को भी भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय केंद्र सदस्य राज्यों में होने वाले प्रमुख महोत्सवों में भी, इन महोत्सवों के दौरान कला प्रस्तुतियों का प्रबंधन करते हुए भाग लेते हैं, जहां बड़ी संख्या में दर्शकों को अन्य क्षेत्रों के कला रूपों का आनंद लेने और इन्हें समझने का अवसर प्राप्त होता है। ये महोत्सव हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों का आनंद लेने और उन्हें समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

अनुलग्नक-III

'लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना' के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कार्यक्रमों/कार्यकलापों की सूची

क्र. सं.	**कार्यक्रम/कार्यकलाप का नाम**
1.	यात्रा
2.	लोक गीत और नृत्य महोत्सव
3.	शिल्प मेले
4.	प्रदर्शनियां
5.	कार्यशालाएं
6.	संगोष्ठियां
7.	कवि सम्मिलन
8.	ऑक्टेव- पूर्वोत्तर का महोत्सव
9.	गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भाग लेना
10.	गंगा संस्कृति यात्रा
11.	कुंभ मेले में भाग लेना
12.	माटी के रंग
13.	द्वीप महोत्सव
14.	जश्न-ए-कश्मीर
15.	कुरूक्षेत्र उत्सव-गीता जयंती समारोह
16.	राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव
17.	विदेश में भारत महोत्सव
18.	लोक रंग महोत्सव
19.	ऑरेंज सिटी शिल्प मेला
20.	चलो मन गंगा यमुना तीर
21.	लावणी महोत्सव
22.	मिंजर मेला
23.	कुल्लू दशहरा उत्सव आदि
24.	जम्मू एवं कश्मीर महोत्सव
25.	सूरजकुंड शिल्प मेला
26.	हॉर्नबिल महोत्सव
27	शिल्पग्राम उत्सव
28.	लोकोत्सव
29.	संगाई महोत्सव
30.	सिन्धु दर्शन महोत्सव

*****